न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 89 / 2023

अनवान : –

1. बोगा पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी नहराना तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादीया**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 14/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 153 के ख0न0 87/1 की 2.2220 हैक्ट भूमि में से 55/101 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 110/114 की कुल 2.2220 हैक्ट भूमि में से 78/101 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीया को पिहर पक्ष द्वारा प्राप्त हुई है। वादीया का उक्त राजस्व रिकार्ड में नाम बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ दर्ज है। वादीया का ससुराल नहराना तहसील व जिला सिरसा मे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीया के पिहर का नाम दर्ज है। वादीया के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादीया का नाम बोगा पत्नी बनवारी जाति जाट साकिन नहराना तहसील सिरसा है। अतः वादीया अपने दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ के स्थान पर बोगा पत्नी बनवारी जाति जाट साकिन नहराना तहसील सिरसा दर्ज करवाना चाहती है। वादीया न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है कि राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम मुताबिक दस्तावेजात दुरूस्त किया जावे।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक दस्तावेज दुरूस्त कर देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये इंतकाल संख्या 948 न्यायालय आदेश द्वारा दर्ज हुआ है। नाम संशोधन बाबत विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना उचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:38 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया को पिहर पक्ष द्वारा प्राप्त हुई है। वादीया का उक्त राजस्व रिकार्ड में नाम बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ दर्ज है। वादीया का ससुराल नहराना तहसील व जिला सिरसा मे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीया के पिहर का नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। वादीया के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादीया का नाम बोगा पत्नी बनवारी जाति जाट साकिन नहराना तहसील सिरसा है। अतः वादीया अपने दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ के स्थान पर बोगा पत्नी बनवारी जाति जाट साकिन नहराना तहसील सिरसा दर्ज करवाना चाहती है राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादीया को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वादीया अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 153 के ख0न0 87/1 की 2.2220 हैक्ट भूमि में से 55/101 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 110/114 की कुल 2.2220 हैक्ट भूमि में से 78/101 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ दर्ज है जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादीया का नाम बोगा पत्नी बनवारी जाति जाट साकिन नहराना तहसील सिरसा दर्ज है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 153 के ख0न0 87/1 की 2.2220 हैक्ट भूमि में से 55/101 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 110/114 की कुल 2.2220 हैक्ट भूमि में से 78/101 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादीया का नाम बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ के स्थान पर बोगा पत्नी बनवारी पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन नहराना तहसील सिरसा के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच स बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:38 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 89 / 2023
अनवान : –

1. बोगा पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी नहराना तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 89 सन 2023 निर्णय दिनांक –14/03/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 153 के ख0न0 87 / 1 की 2.2220 हैक्ट भूमि में से 55 / 101 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 110 / 114 की कुल 2.2220 हैक्ट भूमि में से 78 / 101 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादीया का नाम बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ के स्थान पर बोगा पत्नी बनवारी पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन नहराना तहसील सिरसा के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच स बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम बोगा पुत्री मनोहरी जाति जाट साकिन धोलिया तहसील राजगढ़ नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 14/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:38 IST
Reason: SelfAttested